राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोवार्ये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 () लेखा/बीएनपी/2011/ 4238

जयपुर दिनांक : 15-11-2011

- 1. कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं खारण्य सेवार्ये, जीन।
- 3. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय।
- समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपजिला/सेटेलाईट अस्पताल।
- समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।
- समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ।
- समस्त, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
- समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी / प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
- 9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अंजमेर/जोधपुर।
- 10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।
- 11. विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
- 12. प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।
- 13. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
- 14. उपनिदेशक, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, जयपुर।

विषय :- आईएफएमएस में दर्शाये गये व्यय/बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्राद्यान का कोषालय से मिलान करने बाबत।

संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र क्रमांक : F.5(TII-75) DTA/IFMS/Treasury दिनांक 02.11.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा वित्त विभाग ने निर्देशित किया है कि सभी विभागाध्यक्ष एवं बजट नियन्त्रण अधिकारी आईएफएमएस में उपलब्ध व्यय रिपोर्ट पूर्ण होने, अद्यतन होने तथा सभी प्रकार से सही होना सुनिश्चित करेगे तथा यदि किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसे कोषालयों के मार्फत दिनांक 20.11.2011 तक आवश्यक रूप से संशोधन करवाकर वित्त विभाग को सूचित करेंगे।

उक्त कार्य आप द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः निर्देशित क्रिया जाता है कि आप आईएफएमएस की विभिन्न रिपोर्ट्स (व्यय, बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्रावधान) की विभाग में उपलब्ध भौतिक रिपोर्ट से मिलान कर यदि कोई अन्तर/अशुद्धि हो तो संबंधित कोषालय से अशुद्धियों को सही करवाकर प्रमाण—पत्र एवं प्रस्तावित ट्रान्सफर ऐन्ट्री की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें अन्यथा दिनांक 30.11.2011 के बाद कोषालय द्वारा आपके कार्यालय का किसी प्रकार का बिल अंकिमलान का कार्य पूर्ण होने तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

संलग्न :- संदर्भित पत्र की प्रति।

वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 () लेखा / बीएनपी / 2011 /

जयपुर दिनांक :

प्रतिलिपि :- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यांलय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

वित्तीय सलाहकार

MOST URGENT

3/2-3/42-10

Government of Rajasthan
Finance Department
(Economic Affairs Department)

No. F.5 (TH-75) DTA/IFMS/Treasury/

Jaipur, Dated: November 02, 2011

All Heads of Departments/ Budget Controlling Officers

Subject

Examining Expenditure Reports and Data of PD Accounts on IFMS

Reference:

This Department's letters of even number dated September 15, 2011

and October 13, 2011

Sir/Madam,

Vide above referred letters, all Heads of Departments and Budget Controlling Officers were directed to ensure that the Expenditure Reports and data of PD Accounts available in IFMS are complete, updated and accurate in all respects by checking the reports available on IFMS and making necessary corrections through Treasuries by October 20, 2011 under Intimation to Finance Department.

Ma (137)

As you know, completion of this task is of utmost importance for effective budget distribution and control module under IFMS but the reports available in IFMS indicate that this task has not yet been completed by many of the departments, which is a matter of concern.

المالية المالية

It is, therefore, again requested to please look into the matter personally and ensure that this task is completed positively by November 30, 2011 by checking various reports (Expenditure, Budget Distribution and Budget Availability) in IFMS with the physical record available in the Department and intimating necessary changes in regard to misclassification to the respective Treasury for reconciliation. It would be pertinent to mention here that after November 30, 2011 Treasuries will not be able to accept any kind of bills of the offices which fail to complete the task of reconciliation of these figures.

Yours 1

Secretary Finance (Budget)

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

- 1. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries / Special Secretaries
- 2. P. S. to Additional Chief Secretary, Finance
- 3. Director, Treasuries and Accounts
- 4. Director (Budget), Finance Department
- 5. State Informatics Officer, NIC
- 6. All Treasury Officers with the directions to make necessary corrections in the data available in the IFMS as reported by the Departments/Offices
- 7. Technical Director, NIC, Vitta Bhawan
- 8. Principal System Analyst, NIC, Vitta Bhawan
- 9. System Analyst, Finance Department for uploading the circular letter on the website of Finance Department

Officer on Special Duty